न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 17/2016 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2016/01211

उनवान

1. मृतक माना पिता जगन्नाथ डांगी निवासी हिकावाडा के बजाय कायम मुकाम वारिशान है –

1/1 श्रीमती पेमी बाई बेवा स्व. माना डांगी, उम्र बालिग
1/2 श्री प्रेमलाल पिता स्व. माना डांगी, उम्र बालिग
1/3 श्री रतनलाल पिता स्व. माना डांगी, उम्र बालिग
1/4 श्रीमती भूरी बेवा स्व. रूपा डांगी, उम्र बालिग
निवासीयान हिकावाडा हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
1/5 श्रीमती गंगा पुत्री स्व. माना डांगी पत्नि गोवना डांगी, उम्र बालिग निवासी कल्याणा तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
1/6 श्रीमती भुरी पुत्री स्व. माना डागी पत्नि मेघजी डांगी, उम्र बालिग, निवासी सिंगपुर, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)।

विरूद्ध **– प्रार्थीगण**

1. श्री मावा पिता माना मीणा, उम्र बालिग,
2. श्री गागा पिता देवा मीणा, उम्र बालिग,
3. मृतक पेमा पिता जगन्नाथ मीणा के बजाय विधिक वारिसान–
   3/1 श्री डुंगर पिता स्व. पेमा मीणा उम्र बालिग
   3/2 श्री रतु पिता स्व. पेमा मीणा उम्र बालिग
   3/3 श्री राजु पिता स्व. पेमा मीणा उम्र बालिग
4. श्री दला पिता भेरा मीणा, उम्र बालिग,
5. श्री चोखा पिता भेरा मीणा, उम्र बालिग,
6. श्री परथा पिता मीवा मीणा, उम्र बालिग,
7. श्री शंकर पिता देवा मीणा, उम्र बालिग,
8. श्री भेरा पिता देवा मीणा, उम्र बालिग,
9. श्री भगा पिता देवा मीणा, उम्र बालिग,
10. श्री मोगा पिता रामींग मीणा, उम्र बालिग,
11. श्री रूपा पिता रामींग मीणा, उम्र बालिग,
12. श्री सोहन पिता रामींग मीणा, उम्र बालिग,
13. श्री देवा पिता रामींग मीणा, उम्र बालिग,
14. श्री नाथु पिता भेरा मीणा, उम्र बालिग,
15. श्री शंकर पिता भेरा मीणा, उम्र बालिग,
16. श्री नाथु पिता मावा मीणा, उम्र बालिग,
17. श्री धुला पिता गांगा मीणा, उम्र बालिग,
18. श्री डुंगर पिता पेमा मीणा, उम्र बालिग,
19. श्री रतु पिता पेमा मीणा, उम्र बालिग,
20. श्री राजु पिता पेमा मीणा, उम्र बालिग,
21. श्री भेरा पिता लालु मीणा, उम्र बालिग,
22. श्री गोता पिता लालु मीणा, उम्र बालिग,
23. श्री पुंजा पिता लालु मीणा, उम्र बालिग,
24. श्री भेरा पिता भगा मीणा, उम्र बालिग

सभी निवासीयान हिकावाडा, हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

– विपक्षीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/08/2026

उपस्थितिः श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री ओमप्रकाश चंचावत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1, 4, 7, 8, 10 से 20, 22, 23, 24

विपक्षी संख्या 3/1 से 3/3– एक पक्षीय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा बामनिया पटवार हल्का बामनिया खाता संख्या 375 आराजी नम्बर 5001/0.21, 5002/0.14, 5003/0.30, 5004/0.25 कुल किता 4 रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज प्रार्थी अकेला है तथा राज में लगान प्रार्थी जमा कराता है एवं प्रार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का अथवा विपक्षीगण का निम्न भूमी में कोई हक हिस्सा, आधिपत्य एवं स्वामित्व आदि नही है। विपक्षीगण संख्या में अधिक है एवं प्रार्थी वृद्ध है उसे अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमी पर अकेले आना जाना पडताहै एवं विपक्षीगण शान्तीपूर्वक काश्त नहीं करने देते है एवं फसल बोने पर फसल नष्ट करने की धमकी देते है एवं मारपीट करने की धमकी देते है इसलिये प्रार्थी को मजबूर होकर विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि विपक्षीगण के विरूद्ध शीघ्र व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो विपक्षीगण प्रार्थी की वादग्रस्त भूमी में जबरन प्रवेश कर फसल व भूमी बर्बाद कर सकते है अथवा फसल बोने पर जबरन काटकर लेजा सकते है जिससे प्रार्थी को जो क्षति होगी उसकी रूपये पैसो मे मुल्यांकन नहीं हो पावेगा एवं अनेक वाद लाने पड़ेंगे एवं महान असुविधा होगी ।

अतः प्रार्थना है कि असल वाद के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि मौझा बामनिया पटवार हल्का बामनिया तहसील सलूबर की प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमी आ.न. 5001, 5002, 5003 एवं 5004 कुल खेत 4 रकबा 0.90 हेक्टर लगानी 5.86 रू. जिसका पूर्ण विवरण प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 दो में दे रखा है उक्त भूमि पर प्रार्थी के शान्तीपूर्वक काश्त कब्जे में विपक्षीगण किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे एवं न ही फसल व भूमि बर्बाद करे एवं न ही प्रार्थी को बेदखल करे एवं न ही उक्त कृत्य अपने परिजनो, नोकरो, मजदुरो से करावे। दौरान कार्यवाही यदि विपक्षीगण ने मिलकर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो विपक्षीगण को सिविल जेल भेजा जावे एवं उक्त भूमी पर मुर्कर कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 2, 5, 6, 9, 21 के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 10-01-2018 को उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 10 से 20, 22, 23, 24 की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश चंचावत हाजिर रहे। विपक्षीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब मे अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी के अरसा करीब 80–90 वर्ष से बाप दादा के समय से कब्जे काश्त चली आ रही है। प्रार्थी का कोई कब्जा किसी प्रकार का कोई नहीं है बल्की आराजियात

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

विपक्षी कब्जे काश्त में चली आ रही है। आराजियात 80–90 वर्षों से विपक्षीगण के बाप दादा के समय से खरीद रखी हैं जो कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

मृतक विपक्षी संख्या 3 के कायम मुकाम वारिसान विपक्षी संख्या 3/1 से 3/3 के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 12–12–2025 को उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि विवादित कृषि भूमि आराजी नं. 5001, 5002, 5003 एवं 5004, कुल रकबा 0.90 हेक्टेयर, मौजा बामनिया, पटवार हल्का बामनिया, तहसील सलूम्बर की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा एवं काश्त चली आ रही है। विपक्षीगण द्वारा उनके शांतिपूर्ण कब्जे एवं खेती में बाधा उत्पन्न की जा रही है अतः इन्हे मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

विपक्षीगण ने बहस मे प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर उनका एवं उनके पूर्वजों का लगभग 80–90 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण का भूमि पर कोई वास्तविक कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी पक्ष के नाम दर्ज है। साथ ही भूमि को लेकर दोनों पक्षों में विवाद विद्यमान है जिससे शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष के पक्ष में प्रतीत होते हैं। यदि अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो वाद के अंतिम निर्णय तक विवाद की स्थिति गंभीर हो सकती है तथा प्रार्थी पक्ष को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि आराजी नं. 5001, 5002, 5003 एवं 5004, कुल रकबा 0.90 हेक्टेयर, मौजा बामनिया, तहसील सलूम्बर में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। दोनों पक्ष कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 19/05/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला-सलूम्बर